

समाप्त

अन्तर्गत अधिकारी

रसमदार

विषय - मौरा-खिखरी (काला क्र-82 प्लॉट नं-3300
रकबा-0.07 ए. शेरी का सीमांकन नहीं होने के
सम्बन्ध में)

प्रमाण - आनलाइन सीमांकन नोट क्र-28/2025-26

संबन्धीय शापक - 608 (ii)/वा.र.न.क्र.21-05-2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रमाणार्थक के सम्बन्ध में सूचित
किया है कि आवेदक श्री बनिक्ल पारक पिता-उमेश पारक
निकाली-राम नगर, पारक टाउन सिमडेगा का भूमि मौरा-खिखरी
काला क्र-82 प्लॉट नं-3300 रकबा-0.07 ए. का सीमांकन
है निर्धारित तिथि-28-05-2025 से दरजमान पर
प्रमाण

आवेदक-पौडैरौर एवं शर्मोकरों के उपस्थिति में
आवेदित प्लॉट का सीमांकन के क्रम में इसी प्लॉट
के अन्य स्थित दिनेश लाल पिता-सु. देवान शाहु एवं
आवेदक के बीच मालिकाना हक एवं दलाल व्यवसाय
को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया।

निष्कर्ष यह है कि एक ही प्लॉट पर दिनेश
शाहु एवं आवेदक दावा कर रहे हैं। अतः यह स्वतंत्र
नोट का मामला प्रतीत होता है। सप्त-मासिक
के स्वतंत्र नोट का निपटारा के पश्चात् सीमांकन
को कारवाई को आ सकती है।

अतः श्री गान को सीमांकन नहीं होने का